न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 372/2023 | दायर दिनांक 30.10.2023 | निर्णय दिनांक 30.01.2024

उनवान

1. कविता पत्नि अनिल खेमका जाति खेमका उम्र वयस्क निवासी आर सी व्यास कालोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज,

–प्रार्थीया

बनाम

1. बाबू पुत्र श्री काशीराम जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी दरोगा मोहल्ला, पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
2. शंकर पुत्र श्री शिवा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी पालडी दरोगा मोहल्ला पलडी तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
3. शंकर पुत्र हजारी जाति माली उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
4. गीता पुत्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण उस वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
5. नाना पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी गांव आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
6. रामेश्वर पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. श्याम लाल पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहाण उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राज
8. सोहनी पत्नि मांगीलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
9. जगदीश पुत्र प्रताप जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
10. कैलाश पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
11. गोपाल पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
12. जमना पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
13. बालु पुत्र प्रताप जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
14. राधेश्याम पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

15. प्यारचन्द पुत्र मूलचन्द जाति ब्राहाण उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
16. रुपलाल पुत्र मूलचन्द जाति ब्राहाण उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राज
17. रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी गांव आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
18. कन्हैयालाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
19. कंचन पुत्री नारायणलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
20. प्रेम पत्नि नारायणलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
21. राजेन्द्र पुत्र नारायणलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
22. शंकर पुत्र रामकरण जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
23. नगर विकास न्यास जरिये सचिव महोदय, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा पता अजमेर रोड़, भीलवाड़ा राज.

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी अमित कोठारी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 22 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आरजिया प0ह0 आरजिया भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071—2074 के खाता संख्या 276 की अभिलिखित आराजियात 1613, 1617, 1618, 1622, 1620, 1621 कुल किता 06 कुल रकबा 1.2393 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकिल प्रार्थी ने दिनांक 21.12.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विपक्षी संख्या 08 की मृत्यु हो चुकी है जिनके विधिक वारिसान प्रकरण में पहले से ही विपक्षी संख्या 04, 05, 06 07 पक्षकार है। नाम डिलिट किये जाने की प्रार्थना की गई। अतः विपक्षी संख्या 08 का नाम डिलिट किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत

उपखण्ड अधि[illegible]
भीलवाड़ा

व 09 से लगायत 22 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 व 09 से लगायत 22 के विरूद्ध र्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील र्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील र्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव वली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का वलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात र बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में किंत भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा आरजिया प0ह0 आरजिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 276 की अभिलिखित आराजियात 1613, 1617,1618,1622, 1620, 1621 कुल किता 06 कुल रकबा 1.2393 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा